"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर 2013—भाद्र 22, शक 1935

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2013

क्रमांक ई-1-1-2013/1/2.— श्री अनिल कुमार साहू, भा.व.से. (सीजी : 1990) वन संरक्षक, साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड, (SECL), बिलासपुर की सेवायें वन विभाग से लेते हुए श्री साहू को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग. रायपुर पदस्थ किया जाता है.

2. डॉ. कमल प्रीत सिंह, भा.प्र.से. (सीजी : 2002), संचालक, स्वास्थ्य सेवायें तथा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छ.ग. को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, छ.ग., रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

3. श्री अन्बलगन पी., भा.प्र.से. (सीजी : 2004) उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, छ.ग., रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग., रायपुर पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

अवकाश अवधि में श्री वर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

कार्यालय आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा
विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्रमांक 2418/वि-7/MGNREGA/2013.—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का सं. 42) की धारा 32 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**—
   (1) ये नियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बेरोजगारी भत्ता नियम, 2013 कहलायेंगे.

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

   (3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—
   (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
   (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का सं. 42);

   (ख) "अपीलीय अधिकारी" से अभिप्रेत है जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर तथा इन नियमों के नियम 7 के उप-नियम (2) एवं (3) में यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी;

   (ग) "अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक" से अभिप्रेत है संबंधित जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी;

   (घ) "जिला कार्यक्रम समन्वयक" से अभिप्रेत है संबंधित जिले का कलेक्टर;

   (ङ) "कार्यक्रम अधिकारी" से अभिप्रेत है जनपद पंचायत का कार्यक्रम अधिकारी;

   (2) शब्द एवं अभिव्यक्ति जो इन नियमों में प्रयुक्त है और जो परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित है.

3. **बेरोजगारी भत्ते की पात्रता.**— यदि अधिनियम के नियम 2 के खण्ड (त) के अधीन यथा परिभाषित स्कीम के अंतर्गत किसी आवेदक को उसके आवेदन की प्राप्ति के या विनिर्दिष्ट की गई तिथि में अग्रिम आवेदन की दशा में रोजगार चाहा गया है ऐसे रोजगार चाहे गये तिथि से, इसमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, पन्द्रह दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो इस नियम के अंतर्गत वह उस दिन के 16वें दिन से, जब तक ऐसा रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक एक दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा.

4. **बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन.—**

(1) प्रत्येक आवेदक को रोजगार प्रदाय हेतु विनिर्दिष्ट तिथि की समाप्ति के 30 दिवस के भीतर, ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी को बेरोजगारी भत्ते के लिये अपना आवेदन देना होगा.

(2) पृथक-पृथक अवधि हेतु बेरोजगारी भत्ता के लिये पृथक-पृथक आवेदन देना होगा.

(3) रोजगार की मांग हेतु प्रस्तुत आवेदन की पावती, आवेदन के साथ संलग्न करना होगा.

(4) कार्य पर उपस्थित होने का प्रमाण/साक्ष्य, अर्थात् जब आवेदन ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी के निर्देश पर कार्य में उपस्थित हुआ था, तब कार्यान्वयन अधिकारी द्वारा उसे रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया था, का आवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना आवश्यक होगा, अन्यथा उसका आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा.

5. **बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति एवं भुगतान प्रक्रिया.—**

(1) बेरोजगारी भत्ते हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्णय, जनपद पंचायत (विकासखण्ड) के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा लिया जायेगा.

(2) ग्राम पंचायत, प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन/परीक्षण करेगी और उसे अपनी टीप के साथ कार्यक्रम अधिकारी को 5 दिवस के भीतर भेजेगी.

(3) आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से 10 दिवस के भीतर, बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जायेगा तथा आदेश/निर्णय की प्रति आवेदक, ग्राम पंचायत एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक को अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जायेगा.

(4) बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति की दशा में, कार्यक्रम अधिकारी को प्रत्येक आवेदन में रोजगार उपलब्ध नहीं कराने का कारण दर्शाना आवश्यक होगा.

(5) स्कीम के अंतर्गत, बेरोजगारी भत्ता वित्तीय वर्ष के दौरान प्रथम 30 दिनों के लिये न्यूनतम मजदूरी दर के एक चौथाई की दर से तथा शेष निरन्तर अवधि के लिये न्यूनतम मजदूरी दर का आधा देय होगा.

(6) बेरोजगारी भत्ते की अधिकतम सीमा-परिवार द्वारा मजदूरी एवं बेरोजगारी भत्ता दोनों को मिलाकर उपार्जित कुल राशि, एक वित्तीय वर्ष के दौरान कार्य के 100 दिनों की मजदूरी की कुल राशि से अधिक नहीं होगी.

(7) बेरोजगारी भत्ते का भुगतान भी उसी तरह किया जाएगा, जिस तरह मजदूरी का भुगतान किया जाता है.

(8) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश जारी करने की तिथि से, आवेदक को बेरोजगारी भत्ते के भुगतान में 7 दिवस से अधिक विलंब नहीं होना चाहिए, और यदि इसमें किसी तरह का विलंब होता है तो आवेदक, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के अधीन मुआवजा पाने का हकदार होगा.

6. **निम्नलिखित परिस्थितियों में बेरोजगारी भत्ता देय नहीं होगा.—**

(1) प्राकृतिक आपदा जैसे अतिवृष्टि, बाढ़, भूकम्प आदि घटनाएं जिन पर सामान्यतः किसी का नियंत्रण नहीं होता है तथा विषम परिस्थितियां जैसे दंगा-फसाद आदि में यदि ग्राम पंचायत अथवा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा इस अवधि में रोजगार उपलब्ध कराया जाना सम्भव न हो, तो राज्य शासन द्वारा यथा घोषित अवधि एवं क्षेत्र के लिए बेरोजगारी भत्ता देय नहीं होगा.

(2) यदि कार्य पर उपस्थिति के लिये, कार्यक्रम अधिकारी/ग्राम पंचायत अथवा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सूचना जारी किये जाने की तिथि से 15 दिन के भीतर, आवेदक कार्य पर उपस्थित होने में विफल रहता है.

(3) यदि आवेदक, ग्राम पंचायत अथवा कार्यान्वयन एजेंसी की अनुमति बिना एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए कार्य से लगातार अनुपस्थित रहता है या किसी माह में एक सप्ताह से अधिक के लिये अनुपस्थित रहता है, तो वह, तीन माह के लिये बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, तथापि इस अवधि के दौरान वह रोजगार हेतु आवेदन कर सकता है.

(4) उस अवधि हेतु जिसमें आवेदक अथवा उसके परिवार का कोई वयस्क सदस्य जिसका नाम रोजगार कार्ड में दर्ज है, योजनान्तर्गत कार्यरत है/कार्यरत रहा है.

(5) वह अवधि जिसके लिए रोजगार चाहा गया है, समाप्त हो जाती है और आवेदक के परिवार का कोई सदस्य नियोजन के लिए नहीं आता है.

(6) यदि आवेदक के परिवार के किन्हीं वयस्क सदस्यों ने वित्तीय वर्ष के दौरान कुल मिलाकर कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्राप्त कर लिया है.

(7) यदि आवेदक के परिवार ने मजदूरी एवं बेरोजगारी भत्ता, दोनों को मिलाकर उतना उपार्जित कर लिया है, जो वित्तीय वर्ष के दौरान कार्य के सौ दिनों की मजदूरी के बराबर है.

7. **बेरोजगारी भत्ता हेतु अपीलीय प्राधिकारी.—**

(1) बेरोजगारी भत्ता हेतु प्रस्तुत आवेदन पर की गई कार्यवाही से संतुष्ट नहीं होने पर कोई भी आवेदक, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष आदेश की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर अपील कर सकेगा.

(2) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत/अस्वीकृत करने के संबंध में पारित आदेश के विरुद्ध अपील, आवेदक द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर या उसकी ओर से प्राधिकृत अपर कलेक्टर की श्रेणी से अनिम्न के किसी अधिकारी के समक्ष की जायेगी.

(3) जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर या जिला स्तरीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील, संभागीय आयुक्त या इस प्रायोजन के लिए उसकी ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष की जाएगी.

(4) अपीलीय प्राधिकारी को अपील की तिथि से 30 दिनों की वैधानिक समय सीमा के भीतर अपील का निराकरण करना अनिवार्य होगा तथा की गई कार्यवाही के बारे में लिखित में आवेदक को सूचित करेगा.

8. **बेरोजगारी भत्ते की मॉनीटरिंग के लिए प्रक्रिया.—**

(1) राज्य, जिला एवं जनपद स्तर पर बेरोजगारी भत्ता की मॉनिटरिंग की प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा.

(2) जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर द्वारा, बेरोजगारी भत्ते की मॉनिटरिंग के लिए त्रैमासिक बैठक आयोजित की जायेगी.

(3) प्राप्त एवं निराकृत आवेदनों के संबंध में विवरण, प्रत्येक माह कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा बेरोजगारी भत्ता का भुगतान एवं रोजगार की उपलब्धता की स्थिति को स्पष्ट करते हुए राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत किया जायेगा तथा इसको (रिपोर्ट को) राज्य सरकार, भारत सरकार को प्रस्तुत करेगी तथा भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के वेबपेज के प्रीडिजाईन्ड फारमेट में भी ऑनलाईन प्रविष्टि करायेगी.

No. 2418/वि-7/MGNREGA/2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 32 of Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Act, 2005 (No. 42 of 2005), State Government, hereby, make the following Rules, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 32 of the said Act, namely:-

RULES

1. **Short title, extent and commencement. —**

(1) These rules may be called the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Unemployment Allowance Rules, 2013.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.—**

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (No. 42 of 2005);

(b) "Appellate Authority" means the District Programme Co-ordinator/Collector and any other officer as specified in sub-rule (2) and (3) of rule 7 of these rules;

(c) "Additional District Programme Co-ordinator" means the Chief Executive Officer of the concerned Zila Panchayat;

(d) "District Programme Co-ordinator" means concerned District Collector;

(e) " Programme Officer" means the programme officer of Janpad Panchayat.

(2) The words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Eligibility for unemployment allowance.—** If an applicant is not provided employment under the scheme, as defined under clause (p) of rule 2 of the Act, within 15 days of receipt of his/her application or, in case of advance application in which the date has been specified from which the employment has been sought, from the date that employment has been sought, whichever is later, then under this rule, he/she shall be entitled to a daily unemployment allowance from the 16th day till he/she is provided such employment.

4. **Application for an unemployment allowance.—**

(1) Every applicant shall submit his application for unemployment allowance to the Gram Panchayat/ Programme Officer within 30 days from the expiry of the date specified for providing employment.

(2) For unemployment allowance separate application shall be submitted for separate period.

(3) Acknowledgement of the application submitted for seeking employment, must be enclosed with the application.

(4) It shall be necessary to mention clearly in the application proof/evidence of presence on the worksite i.e. when the applicant was present at worksite on the instructions of Gram Panchayat/Programme Officer, employment was not provided to him/her by the Implementation Officer, otherwise his application shall be rejected.

5. **Procedure for sanction and disbursement of unemployment allowance.—**

(1) Decision on applications for unemployment allowance, shall be taken by the Programme Officer of Janpad Panchayat of the Block.

(2) Gram Panchayat shall examine/scrutinize the applications and shall sent them to Programme Offier within 5 days along with comments.

(3) Decision regarding acceptance/rejection of unemployment allowance shall be taken within 10 days from the date of submission of application by the applicant and the copy of decision/order shall be compulsorily provided to the applicant, Gram Panchayat and District Programme Co-ordinator.

(4) Programme Officer shall be required to mention reason for not providing employment, on each application, in case, accepted for unemployment allowance.

(5) Under the scheme, unemployment allowance during a financial year, at the rate of one fourth of the minimum wage rate for the first 30 days and for the balance continued period half of the minimum wage rate, shall be payable.

(6) **Maximum limit of Unemployment** allowance- The total amount earned by a family by means of **labour payment** and **unemployment** allowance shall not ... d total labour payment of 100 days **during** one financial year.

(7) **Unemployment** allowance shall be paid in similar way as labour payment is paid.

(8) **For** payment of unemployment allowance, there should not be delay of more than 7 days from the **date of** issuing of sanction order by the Programme Officer and if any delay is caused, the applicant **shall be** entitled to receive compensation under the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936).

6. **Unemployment allowance is not payable under following circumstances.—**

(1) Unemployment allowance shall not be paid during natural calamities like - famine, flood, earth**quake etc.** wherein no-one has any control over such situations and rare conditions like riots etc. **when** it is not possible for Gram Panchayat/Implementating Agency to provide employment than **unemployment** allowance shall not be payable for such period and area as declared by the State **Government**.

(2) **When** an applicant fails to remain present at the worksite within 15 days from the date of notice **issued** by the Programme Officer/Gram Panchayat or Implementing Agency for being present at the **worksite**.

(3). **When an** applicant remains absent continuously for more than one week or is absent for more than **one week** in a month without the permission of Gram Panchayat or Implementing Agency, he shall **not be** entitled to receive unemployment allowance for three months, however, during this period he **can submit** an application for employment.

(4) **The period** in which the applicant or any adult member of the family whose name is enrolled in **employment** card, is working/has worked under the cheme.

(5) **The period**, for which applicant had sought employment, expires and none of the family member **come** for employment.

(6) **If any** adult member of family of the applicant has obtained minimum 100 days of employment in **total** during the financial year.

(7) If an applicant's family has earned amount equal to labour payment of 100 days by means of labour payment and unemployment allowance, including both, during the financial year.

7. **Appellate Authority for unemployment allowance.—**

(1) Any applicant, dissatisfied by the action taken on his application submitted for unemployment allowance, may appeal before the Appellate Authority within 15 days from the date of order.

(2) An appeal against the order passed by the Programme Officer regarding acceptance/rejection of unemployment allowance, may be submitted by the applicant to the District Programme Co-ordinator/ Collector or any officer authorized on his behalf, not below the rank of Additional Collector.

(3) A second appeal, against the order passed by the District Programme Co-ordinator/Collector or a District Level Officer, may be submitted before Divisional commissioner or any officer authorized on his behalf for this purpose.

(4) It shall be compulsory for the Appellate Authority to dispose off the appeal within stipulated time of 30 days from the date of appeal and shall inform the applicant about the proceedings in writing.

8. **Procedure for monitoring unemployment allowance.—**

(1) Procedure of monitoring unemployment allowance must be published extensively at State, District and Janpad level.

(2) District Programme Co-ordinator/Collector shall conduct quarterly meeting for monitoring of unemployment allowance.

(3) Details regarding received and disposed off applications shall be submitted every month by the Programme Officer to the District Programme Co-ordinator and the District Programme Co-ordinator shall submit the report with clear status of unemployment allowance payment and availability of employment to the State Government, and the State Government shall submit the same to the Government of India and make online entries in the predesigned formatted web page of Government of India, Ministry of Rural Development.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टंडन, संयुक्त सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 7-48/2013/12.—खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 74 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका के कालम (5) एवं (6) में उल्लेखित देशांश एवं अक्षांश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में से इस अधिसूचना जारी होने की तारीख के पूर्व से अनुशंसित तथा स्वीकृत खनिज रियायत के क्षेत्रों को छोड़कर, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़, रायपुर के द्वारा अथवा उसके माध्यम से खनिज चूनापत्थर के सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण के लिए आरक्षित करती है :—

तालिका

क्र. (1)	जिला/ग्राम (2)	खनिज (3)	टोपोशीट नं. (4)	अक्षांश (5)	देशांश (6)
1.	बस्तर/चितापुर, रायकोट	चूनापत्थर	65E/16 & F/13	A. 19°00'11.88"	81°50'14.64"
				B. 19°00'11.88"	81°52'09.48"
				C. 18°59'21.48"	81°52'09.48"
				D. 18°59'21.48"	81°51'38.88"
				E. 18°59'06.60"	81°51'38.88"
				F. 18°59'06.60"	81°52'09.48"
				G. 18°58'39.36"	81°52'09.48"
				H. 18°58'39.36"	81°51'24.84"
				I. 18°58'17.04"	81°51'03.24"
				J. 18°56'23.64"	81°51'36.00"
				K. 18°56'02.76"	81°51'17.28"
				L. 18°57'11.16"	81°48'28.80"
				M. 18°58'56.28"	81°49'03.00"
				N. 18°58'56.28"	81°50'14.64"

2. उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 03 वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी. खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 74(2) के उपबंध के अधीन इस अधिसूचना के प्रभावशील रहने पर खनिज रियायतें स्वीकृत नहीं की जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.